

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 383/दो-06-239/21

शिवपुरी,दिनांक- 09/09/21

श्री रामबिलास गुप्ता, चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी का दिनांक 31.08.21 से 02.09.21 तक कुल 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामबिलास गुप्ता को पुनः चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री रामबिलास गुप्ता, चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री गुप्ता के अर्जित अवकाश लेखा में 204 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक : A/1324/दो-06-239/21

शिवपुरी,दिनांक- 11/09/21

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री रामबिलास गुप्ता, चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- लेखापाल/सहा. लेखापाल प्रथम/सांख्यिकी लिपिक, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।